# परिशिष्ट—5

# बिहार अधिनियम, 3/1992 की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2) में संशोधन संकल्प (मूल)

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

1.

## संकल्प

विषयः— बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची—1 में ठकुराई (मुस्लिम) जाति को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम—12, 1993— की धारा—3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन" पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग " का गठन किया है । आयोग द्वारा बिहार अधिनियम 3, 1992 की अनुसूची—1 एवं 2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच की जाएगी और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी, इसके उपरान्त आयोग द्वारा सरकार को ऐसी सलाह दी जाएगी, जैसा वह उचित समझे । बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम—12, 1993 की धारा—9 (2) के अनुसार " पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य रहेगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के बाद अनुशंसा की गई है कि ठकुराई (मुस्लिम) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की अनुसूची—1 में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली—भाँति विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम—3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम—1991 की अनुसूची—1 में ठकुराई (मुस्लिम) जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक—100 पर अंकित किया जाय ।

अतः समावेशन के फलस्वरूप ठकुराई (मुस्लिम) जाति के सदस्यों को राज्य सरकार की सेवाओं जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध–सरकारी, सेवाओ, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह 14 नवम्बर, 1995 के बाद उपलब्ध होगा।

आदेश:— अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/बिहार लोक सेवा आयोग /सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य मंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

ह0/

(एस0 एन0 विश्वास)

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञा0–11/वि0जाति नि0–01/95का0–178 / पटना–15, दिनांक–18–12–1995

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/सदस्य–सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों /निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

ह0/

(एस0 एन0 वि[illegible])

आयुक्त [illegible]